न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 121/2019

1. ओम सिंह पुत्र राय सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोली तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
2. राजवीर सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम इन्दोली तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र छोटू गिरी जाति गुसाई निवासी ग्राम इन्दोली तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
2. भागचन्द पुत्र छोटू गिरी जाति गुसाई निवासी ग्राम इन्दोली तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
3. मंगलाराम पुत्र हरिकिशन, जाति जाट निवासी ग्राम आकोड़िया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अंराई जिला अजमेर राज0
5. उप पंजीयक, उप पंजीयक विभाग अंराई जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 17.1.20

उपस्थितः श्री पवन प्रकाश कुमावत — प्रार्थीगण अभिभाषक
श्री सुण्डाराम जाट — अप्रार्थीगण सं0 1 से 3 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री पवन प्रकाश कुमावत के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि ग्राम इन्दोली तहसील अंराई के वर्तमान खेवट खतौनी संख्या नई 32 पुरानी 30 खसरा नम्बर 166 रकबा 06–05–00 किस्म छापर भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कृषि भूमि थी जो कि प्रार्थीगण की अन्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तथा प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

आराजी से लगती हुई है। जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का सम्वत् 2010 पूर्व से ही कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा था, लेकिन राजस्व विभाग की गलती से जमाबन्दी में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता छोटू गिरी पुत्र लालू गिरी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता श्रीमती मथुरा पत्नि छोटूगिरी जाति गुसाई ने स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दिनांक 01.06.2002 को नाम गलत रूप से आवंटन करवा लिया तथा उक्त गलत आवंटन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.10.2002 को अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता व माता के नाम नियम विरूद्ध तरीके से गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा उक्त गलत गैर खातेदारी के आधार पर नियम विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता व माता ने स्वयं के नाम नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 17.02.2008 जो कि दिनांक 23.02.2008 को राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिली भगती करके खातेदारी दर्ज करवा ली। उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा उनके पिता छोटू गिरी पुत्र लालूगिरी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं0 3 को गलत रूप से बैचान कर दिया एवं उक्त गलत बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 ने राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 486 दिनांक 05.02.2018 के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता व माता का कब्जा भौतिक रूप से नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 3 का भी वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा नहीं होकर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही चला आ रहा है व आज भी कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। नामान्तकरण सं0 486 दिनांक 05.02.2018 बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 प्रथम बार दिनांक 30.05.2018 को वादग्रस्त आराजी पर आये ओर अपने नाम होना बताया और उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बैचान करने की धमकी देकर चला गया। उक्त कृषि भूमि का प्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है अर्थात 1955 में जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ तो उस समय भी प्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त था, किन्तु कानूनी प्रावधानों के अनुसार वाद अधिन आराजी प्रार्थीगणों के पूर्वजों के नाम खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये गये तथा इसके अलावा भी प्रार्थीगण का वाद अधिन भूमि पर अकूल कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीगण कानूनन उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो चुका है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत् का प्रस्तुत किया गया है। नामान्तकरण सं0 142, 211 एवं नामान्तकरण सं0 486 विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

तथा प्रार्थीगण क

Scanned by CamScanner

प्रभावहीन व बेअसर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी सं0 3 स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 3 एवं उनके नौकर चाकर आदि को पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 में दर्शायी गई भूमि में प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे तथा ना ही उक्त वर्णित आराजीयात् को किसी भी प्रकार से रहन, बय, मुन्तकिल एवं अन्तरित करे तथा अप्रार्थी सं0 4 व 5को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वे वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण एवं पंजीयन संबंधी दस्तावेज तस्दीक नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा अप्रार्थी सं0 3 की ओर से वकील श्री सुण्डाराम जाट द्वारा दिनांक 22.07.2019 को अपना पृथक–पृथक जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में खाता संख्या नया 40 पुराना 32 के ख0नं0 166 है। यह कथन गलत है कि जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के खसरा संख्या 166 गै0मु0 छापर बिलानाम दर्ज थी। वस्तुस्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के खसरा संख्या 166 क्षेत्रफल 06–05–00 भूमि दिनांक 01.06.2002 को नियमानुसार छोटूगिरी व मथुरा पत्नि छोटूगिरी के नाम से आवंटित की गई थी, उक्त दोनो आवंटी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के माता पिता है। उक्त आवंटन का नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.10.2002 नियमानुसार उक्त आवंटियों के नाम तस्दीक किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् आवंटियो ने उक्त भूमि पर निरन्तर एवं लगातार मेहनत कर काश्त की है। आवंटन के पश्चात् से उक्त आवंटियों का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा था इसके पश्चात् उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 17.02.2008 नियमानुसार तस्दीक कर उक्त आवंटियों को नियमानुसार खातेदारी उक्त आवंटियों की राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी। उक्त खातेदारों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त निरन्तर व लगातार चला आ रहा था। वादग्रस्त भूमि की 1/2 हिस्सा की खातेदार अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता श्रीमती मथुरा का देहान्त हो गया एवं देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 01.12.2010 उसके वारिसान छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी, बनवारी, भागचन्द पुत्रगण छोटूगिरी (अप्रार्थी सं0 1 व 2) के नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया। इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि ख0नं0 166 एवं

Devendra
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

इसके साथ अन्य खसरा संख्या 167 व 168 का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2018 द्वारा विक्रेतागण छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी हिस्सा 2/3, बनवारी, भागचन्द पिता छोटूगिरी हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण रकबे सहित बैचान अप्रार्थी सं0 3 (मंगलाराम पुत्र हरिकिशन) के पक्ष में कर दिया गया। इसके पश्चात् उक्त बैचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 486 क्रेता अप्रार्थी सं0 3 के नाम से नियमानुसार तस्दीक किया गया। खरीद की दिनांक से आज तक अप्रार्थी सं0 3 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा गलत असत्य एवं मिथ्या आधारों पर अप्रार्थी सं0 1 से 3 को जबरन हैरान व परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण ने स्वयं के कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी सं0 3 ने वादग्रस्त भूमि मूल्यवान प्रतिफल अदा कर क्रय की है एवं अप्रार्थी सं0 3 वादग्रस्त भूमि का सद्भाविक क्रेता एवं रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, दस्तावेजों एवं न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध विशिष्ट खर्चे सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कृषि भूमि थी जो कि प्रार्थीगण की अन्य आराजी से लगती हुई है। जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वजो का सम्वत् 2010 पूर्व से ही कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा था, लेकिन राजस्व विभाग की गलती से जमाबन्दी में अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता छोटू गिरी पुत्र लालू गिरी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता श्रीमती मथुरा पत्नि छोटूगिरी जाति गुसाई ने स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दिनांक 01.06.2002 को नाम गलत रूप से आवंटन करवा लिया तथा आवंटन पश्चात् खोले गये गलत नामान्तकरण के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा उनके पिता छोटू गिरी पुत्र लालूगिरी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी सं0 3 को गलत रूप से बैचान कर दिया एवं उक्त गलत बैचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 ने राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 486 दिनांक 05.02.2018 के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि नामान्तकरण सं0 142, 211 एवं नामान्तकरण सं0 486 विधि विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारों के विरूद्ध प्रभावहीन व बेअसर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2011(2) RRT Page No. 721 (Full Bench) (Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer), 2014(2) RRT Page No. 1417 (Rajasthan High Court) (DB), 2015(1) RRT Page No. 560, 2014(2) RRT Page No. 1301, 2015(1) RRT Page No. 633, 2014(1) RRT Page No. 523, 2018(1) RRT Page No. 405, 1997 DNJ (SC) Page No. 6 आदि की फोटोप्रतियां पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के खसरा संख्या 166 क्षेत्रफल 06–05–00 भूमि दिनांक 01.06.2002 को नियमानुसार छोटूगिरी व मथुरा पत्नि छोटूगिरी के नाम से आवंटित की गई थी, उक्त दोनो आवंटी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के माता पिता है। उक्त आवंटन का नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.10.2002 नियमानुसार उक्त आवंटियों के नाम तस्दीक किया गया था, इसके पश्चात् उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 17.02.2008 नियमानुसार तस्दीक कर उक्त आवंटियों को नियमानुसार खातेदारी उक्त आवंटियों की राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी। उक्त खातेदारों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त निरन्तर व लगातार चला आ रहा था। वादग्रस्त भूमि की 1/2 हिस्सा की खातेदार अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता श्रीमती मथुरा का देहान्त हो गया एवं देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 01.12.2010 उसके वारिसान छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी, बनवारी, भागचन्द पुत्रगण छोटूगिरी (अप्रार्थी सं0 1 व 2) के नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया। इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि ख0नं0 166 एवं इसके साथ अन्य खसरा संख्या 167 व 168 का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2018 द्वारा विक्रेतागण छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी हिस्सा 2/3, बनवारी, भागचन्द पिता छोटूगिरी हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण रकबे सहित बैचान अप्रार्थी सं0 3 (मंगलाराम पुत्र हरिकिशन) के पक्ष में कर दिया गया। इसके पश्चात् उक्त बैचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 486 क्रेता अप्रार्थी सं0 3 के नाम से नियमानुसार तस्दीक किया गया। खरीद की दिनांक से आज तक अप्रार्थी सं0 3 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। अतः अप्रार्थीगण वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध विशिष्ट खर्चे सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2059 से 2062 के खसरा संख्या 166 क्षेत्रफल 06–05–00 भूमि दिनांक 01.06.2002

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

को नियमानुसार छोटूगिरी व मथुरा पत्नि छोटूगिरी के नाम से आवंटित की गई थी, उक्त दोनो आवंटी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के माता पिता है। उक्त आवंटन का नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 05.10.2002 आवंटियों के नाम तस्दीक किया गया था। इसके पश्चात् उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 211 दिनांक 17.02.2008 तस्दीक कर अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पूर्वज आवंटियों को नियमानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी। वादग्रस्त भूमि की 1/2 हिस्सा की खातेदार अप्रार्थी सं0 1 व 2 की माता श्रीमती मथुरा का देहान्त होने से विरासत का नामान्तरण संख्या 251 दिनांक 01.12.2010 उसके वारिसान छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी, बनवारी, भागचन्द पुत्रगण छोटूगिरी (अप्रार्थी सं0 1 व 2) के नाम नियमानुसार तस्दीक किया गया। इसके पश्चात् वादग्रस्त भूमि ख0नं0 166 एवं इसके साथ अन्य खसरा संख्या 167 व 168 का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.01.2018 द्वारा विक्रेतागण छोटूगिरी पुत्र लालूगिरी हिस्सा 2/3, बनवारी, भागचन्द पिता छोटूगिरी हिस्सा 1/3 सम्पूर्ण रकबे सहित बैचान अप्रार्थी सं0 3 (मंगलाराम पुत्र हरिकिशन) के पक्ष में कर दिया गया। इसके पश्चात् उक्त बैचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 486 क्रेता अप्रार्थी सं0 3 के नाम से नियमानुसार तस्दीक किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों ही बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में सिद्ध करने में विफल रहे। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार नहीं है तथा ना ही उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त करने की अपील की गई है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना कब्जा बताया है किन्तु प्रार्थीगण स्वयं के कब्जे के संबंध में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे। अतः प्रार्थीगण के रिकार्डेड खातेदार नहीं होने एवं प्रार्थीगण के कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अप्रार्थीगण निरस्त किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.1.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2020.02.11 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: